


15/11/22

पन्नावली पैरा हुई। मूल वाद
Not-Process किया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र
212 R.T.A. का कोई औचित्य नहीं है अतः
प्रार्थना पत्र-212 आदेश दिनांक 29/11/22 को
इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

पन्नावली नरूप से कम थी।
वाद शीघ्र मूल वाद के साथ संलग्न रहे। मुनायाज


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.